हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उप०। वकील उभयपक्षकारान की मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है। अतः शामिल सम्बन्धी निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो। (हस्ताक्षर)	
21/05/24 पत्रावली पेश हुई प्रार्थी वकील उप० तहसीलदार सरवाड़ से रा. आ. स. 25/2024 जाम खां बनाम अली खान वगैरा मे अंतर्गत धारा 251(क) मे निर्णय दिनांक 23/04/24 की पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। ग्राम पुनावतर के ख० नं० रकबा 0.1618 हैक्टेयर की निर्धारित डी.एल.सी दर का दो गुना से क्रय संख्या के वास्तविक मूल्य की गणना करते हुए क्षतिपूर्ति राशि को सम्बन्धित पक्षकारों मे भुगतान किया जावें। उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार सम्बन्धित पक्षकारों मे विभाजन किया जावें। उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार संबंधित पक्षकारों को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जावें। पत्रावली पुनः फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

...हायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर
...रो –श्री विरेन्द्रसिंह भाटी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 25/2024 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

...नवान :–

प्रार्थीगण :– 1. जामखां पुत्र मजनाखां जाति मुसलमान, निवासी पुजासर, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. अलीखान पुत्र राणा 2. हाजी पुत्र जैसा 3. एसानी पत्नि सिदिक 4. खण्डबाई पत्नि राणा 5. जुमा पुत्र जैसा 6. जादली पत्नि राझा 7. धोधा पुत्र सिदिक 8. माठिन पुत्र सिदिक 9. रहमान पुत्र पटेल 10. रामतुलाखां पुत्र राझा निवासी पूजासर, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 11. राज्य सरकार जरिये (भुमिधारी) तहसीलदार सेड़वा

वकील प्रार्थीगण :– श्री हासम खान

निर्णय

दिनांक 23/04/24

प्रार्थीगण जामखां पुत्र मजनाखां जाति मुसलमान निवासी पुजासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जाकाश्त की भुमि ग्राम पुंजासर पटवार हल्का सालारिया तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 734/132 रकबा 11.2745 हैक्टर का आया हुआ है, जिसमें प्रार्थी की रहवासीय ढाणी आयी हुई है। प्रार्थी को उक्त खेत व रहवासीय ढाणी में आने–जाने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी के खेत व रहवासीय ढाणी में आने–जाने के लिए रास्ता अप्रार्थी के खातेदारी खेत ग्राम पुंजासर के खसरा संख्या 548/124 रकबा 11.9139 हैक्टर में से 20 फीट के चौड़े रास्ते की निकटतम रूठ से आवश्यकता है। उक्त रास्ता आने–जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतू उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत करने व रहवासीय ढाणी में आने–जाने का निकटतम रूठ का सुविधाजनक का रास्ता नहीं है। अभी अप्रार्थीगण उक्त भुमि अपने नाम की खातेदारी में दर्ज होने का बहाना बनाकर उक्त स्थान से चलनें से मना कर दिया है। तथा रास्ते हेतू आपसी सहमति से मामला नहीं बैठता जिससे रास्ते की प्राप्ति हेतू उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) काश्तकारी अधिनियम के तहत इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता आम्बाराम पूनड़ ने वकालतनाम प्रस्तुत किया गया जिससे

...ावली किया जाता है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका मंगवाने का निवेदन किया तहसीलदार सेड़वा को उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका ...पोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार सेड़वा ने मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार सेड़वा से उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादीगण उपस्थित मिले। मौके पर वादीगणों व गांव मुखिया मौतबरानों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआवना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अब्दुल फारूक पुत्र मारूखान 13/490, अलीखान पुत्र राणा 1/12, एसानी पत्नि सिदिक, खण्ड बाई पत्नि राणा 1/12, जुमा पुत्र जैसा 3229/35280, जादली पत्नि रांझा 1/12, धोधा पुत्र सिदिक, माठिन पुत्र सिदिक 1/9, रहमान पुत्र पटेल 1/6, रामतुलाखां पुत्र रांझा 1/12, हाजी पुत्र जैसा 1/6, कनका पत्नि राणमल 7/144 कौम जैन खातेदार।	548/124	11.9139 है.	20	0.1618 है.	पुंजासर	42330/—	बा.सो

वादीगण के ग्राम पुंजासर के खसरा संख्या 734/132 रकबा 11.2745 हैक्टर खातेदारी भूमि है। वादीगण की खातेदारी भूमि खसरान संख्या 734/132 तक आने—जाने के लिए उपरोक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में कीमती पेड़, मकान इत्यादि नहीं है। वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि के खसरा संख्या 734/132 तक आने—जाने के लिए खसरा संख्या 548/124 में से सलंग्न नक्शें में प्रस्तावित रास्ता बरंग लाल दर्शाया गया है उसके अनुसार वादीगण को रास्ता दिया जाना उचित है। उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाई गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़ सुन समझ कर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किये।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक

सहायक कलक्टर 23/5/24
(SDO) सेड़वा

है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प

अतः प्रार्थी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अब्दुल फारूक पुत्र मारूखान 13/490, अलीखान पुत्र राणा 1/12, एसानी पत्नि सिदिक, खण्ड बाई पत्नि राणा 1/12, जुमा पुत्र जैसा 3229/35280, जादली पत्नि रांझा 1/12, धोधा पुत्र सिदिक, माठिन पुत्र सिदिक 1/9, रहमान पुत्र पटेल 1/6, रामतुलाखां पुत्र रांझा 1/12, हाजी पुत्र जैसा 1/6, कनका पत्नि राणमल 7/144 कौम जैन खातेदार।	548/124	11.9139 है.	20	0.1618 है.	पुंजासर	42330/–	बा.सो

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 20.00 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। तथा क्षतिपूर्ति की राशि डीएलसी दर की दो गुनी राशि प्रार्थी विप्रार्थीगण को अदा करेगें। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

सहायक कलेक्टर
(SDO) [illegible] 3/5/24

तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार सेड़वा द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चिय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इन्कार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थी को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते के केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होगें।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 25/04/24 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

25/4/24

(विरेन्द्र सिंह भाटी RAS)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलेक्टर (SDO) सेड़वा